भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछ्वाल, बीकानेर - 334006

संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से बेर के पौधों की कटाई-छंटाई से प्राप्त तथा ऑधी-तूफान से टूटी हुई लकड़ियों/उखड़े हुए पेड़ों की नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से बेर के पौधो की कटाई-छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा ऑधी-तूफान से टूटी हुई लकड़ियों की खुली नीलामी संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र कार्यालय पर आयोजित की गयी थी, परन्तु प्रशासनिक कारणों से उक्त नीलामी पुन: **दिनांक 10.12.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे** संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में आयोजित की जावेगी | खुली नीलामी में शामिल होने हेतु इच्छुक व्यकित रुपये 2000/- की बयाना राशि जमा करवाकर बोली लगा सकते है | इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्ते संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं फार्म कार्यालय भवनों [10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछ्वाल, बीकानेर] के सूचना पट्ट एवम संस्थान की वेब साइट **www.ciah.ernet.in** एवम CPP-NIC Portal पर उपलब्ध है | नीलामी में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति उक्त नीलामी के विस्तृत नियमों व शर्तों का अवलोकन अपनी बोली लगाने से पूर्व अवश्य कर लेवें |

प्राप्त अधिकतम बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास पूर्ण रुप से सुरक्षित रहेगा |

01/12/15
प्र. सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से बेर के पौधो की कटाई-छंटाई (प्रुनिंग) से प्राप्त तथा ऑधी-तूफान में टूटी हुई लकडियों व पेड़ों की खुली नीलामी (दिनांक 10.12.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे) के विस्तृत नियम व शर्ते।

1. संस्थान के विभिन्न प्रखण्डों से बेर के पौधों की कटाई-छंटाई से प्राप्त तथा ऑधी-तूफान से टूटी हुई लकडियों की नीलामी की जानी है।

2. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यकित को बयाना राशि के रुप में रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे।

3. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम होगा।

4. जिस व्यकित के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि एवं बोली की एक तिहाई राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जावेगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या फलों के विक्रय हेतु पुन: नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

6. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि लकडियों लेते समय संस्थान की अन्य संपति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

7. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात, लकडियों को कार्यादेश जारी होने के एक माह में ले जाना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक उन लकडियों पर नही रहेगा। इस अवधि में लकडियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।

8. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

9. लकडियों को ले जाने का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देख-रेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा। संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को लकडियों ले जाने के लिये नही लगाना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। लकडियों को बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

10. लकडियों ले जाने हेतु भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही कराएगा।

11. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण से लकडियों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।

12. लकडियों के कार्य संपादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।

13. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) लकडियों को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

14. जिन पेडों की शाखायें टूटी हुई है, उनको अनुबंधक द्वारा पेड को नुकसान पहुंचाये बिना काटना होगा।

15. केवल कार्य दिवस व कार्यालय समय में ही उपरोक्त कार्य सम्पन्न करना होगा एवं सामान को निकासी गेट पास द्वारा (10 A.M. से 5 P.M.) कि जायेगी।

लगातार पृष्ठ सं.2 पर

16. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति न पँहुचाई जाये, अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाइ अनुबंधक से की जावेगी।

17. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार के संसाधन उपलब्ध नही करवाये जायेगे।

18. संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को उपरोक्त कार्य में अनुबंधक द्वारा नही लगाया जायेगा ।

19. उपरोक्त लकडियॉ अनुबंधक को संस्थान फार्म से जहॉ पडी है वहॉ से ही उठानी होगी ।

(पी.पी.पारीक)
प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी